(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 05 / 2026

पंजीकरण संख्या :– 2026 / 15

बउनवान

ताराचंद गुर्जर निवासी ग्राम हिंगलोट पोस्ट पाली तहसील छबड़ा जिला बारां (राज.)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, छबड़ा जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 30.03.2026

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.01.2026 को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, छबड़ा को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जो अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, छबड़ा के विरूद्व पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 09.03.2026 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, छबड़ा को जरिये सम्मन कमांक 157–158 दिनांक 10.03.2026 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन कमांक 157–158 दिनांक 10.03.2026 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, छबड़ा द्वारा उनके कार्यालय के पत्र कमांक/भू.अ. /2026/743–744 दिनांक 23.03.2026 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी द्वारा खसरा नंबर 127 ग्राम धींगाराडी की भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने हेतु आवेदन किया जिसकी पालना में दिनांक 23.12.2025 को भू–अभिलेख निरीक्षक फलिया एवं पटवारी हल्का हानाहेडी के नाम आदेश जारी किया गया जिसकी पालना में पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवा दिया गया जिसकी पालना की प्रमाणित प्रति पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई गई है। उक्त जवाब की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवा दी गई है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, छबड़ा से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/भू.अ./2026/743–744 दिनांक 23.03.2026 से इस न्यायालय में भिजवा दी गई है जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी दी गई है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, छबड़ा के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, छबड़ा को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **30.03.2026** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल जनागल)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ